अपील संख्या 21/2019
अनवान मंगतुराम बनाम शेराराम वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
16–12–2019	पत्रावली प्रार्थना पत्र के आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 पर बहस के दौरान कंहा कि अपीलान्ट मंगतुराम की मृत्यु दिनांक 24.03.2005 को हो चुकी है तथा उसके तीन पुत्र रतनलाल, उमेदसिह, बाबूलाल,तथा एक पुत्री उर्मिला है। अपीलान्ट मंगतुराम मृतक की जगह चारो वारिसान का नाम बतौर अपीलान्ट दर्ज किया जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 पर बहस के दौरान कंहा कि अपीलान्ट अर्सा पूर्व फौत हो चुका है। मुतक अपीलान्ट के अभिभाषक ने दिनांक 07.10.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट का देहान्त दिनांक 24.03.2005 को होना बतलाया। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की मृत्यु के 14 वर्ष बाद पेश किया गया है। उक्त अपील सन् 2001 से विचाराधीन चल रही है। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ दफा– 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश ही नही किया। मियाद प्रकरण 90 दिन होती है। दफा –5 के प्रार्थना के अभाव मे उक्त प्रार्थना पत्र अधूरा है इनको मियाद नही मिल सकती। मेन्डेटरी प्रावधान की अवहेलना की है। उक्त अपील दिनांक 24.07.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गई थी फिर भी मृत व्यक्ति के आधार पर गलत तथ्य पेश कर रेस्टोर करवाई गई है । अपील अबेट हो चुकी है। इसी स्तर पर अपील खारिज़ की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2001 पृष्ठ 118, RRD 2015 पृष्ठ 119 H C, RRD 2002 पृष्ठ 711, RRD 1995 पृष्ठ 82, RRD 1995 पृष्ठ 456, RCM PART –II का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस का प्रतिउत्तर देते हुवे कंहा कि लेण्ड रिकॉर्ड में कभी अलग से प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नही होती है। इस प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड अभितक नही आया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक मंगतुराम के जायज वारिसानो को बतौर अपीलान्ट दर्ज किया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक श्री धन्नेसिह राठौड़ ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1992 पृष्ठ 100, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। .....लगातार.....	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस, सम्पूर्ण मामले, उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन/मनन किया।

न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :–

इस मामले में मुख्य विवाद अपीलान्ट मंगतुराम के फौत होने के संबध में है। अपीलान्ट मंगतुराम का देहान्त दिनांक 24.03.2005 को हुआ लेकिन अपीलान्ट के अभिभाषक इस न्यायालय में दिनांक दिनांक 07.10.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर सूचना दी। उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अभिभाषक अपीलान्ट एव स्वय अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24.07.2017 को पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई, उसके बाद दिनांक 03.08.2017 को अभिभाषक अपीलान्ट ने मंगतुराम अपीलान्ट जरिये एडवोकेट की और से प्रार्थना पत्र पेश कर अपील को रेस्टोर करने का निवेदन किया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में दिये कारणो पर विश्वास करते हुवे दिनांक 14.08.2019 को अपील रेस्टोर की गई। अपील के रेस्टोर होने के बाद अभिभाषक अपीलान्ट न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर कथन कर रहे कि अपीलान्ट मंगतुराम की मृत्यु 24.03.2005 को हो गई। इतने समय तक अपीलान्ट के अभिभाषक ने न्यायालय में मृत्यु की सूचना नही दी बल्की अपील को रेस्टोर भी करवा लिया। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 में भी कथन नही किया कि अपीलान्ट की मृत्यु की सूचना इतने समय बाद क्यो पेश की । इतने समय पश्चात प्रार्थना पत्र मे पूरा विवरण के साथ बताना चाहिये कि इनको मृत्यु की सूचना कब प्राप्त हुई। ना ही अभिभाषक अपीलान्ट ने इतने समय बाद इनको मियाद में लेने का कथन किया। किसी भी मामले में मियाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और व पक्षकारो के बीच मे अधिकारो का सृजन एव विलोपन करने की क्षमता रखने वाला बिन्दु है। यह तो अभिभाषक अपीलान्ट का कर्तव्य था कि वह अपनी अपील के सम्बन्ध मे समय समय पर अपीलान्ट से जानकारी लेता। इस प्रकार प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 विलम्ब से पेश करना साबित होता है। विलम्ब को कोई युक्ति युक्त कारण नही बताये बिना देरी की 14 वर्ष की अवधि को इतने समय बाद माफ नही किया जा सकता। अपील के शेष बिन्दुओ के गुणा व अवगुण पर विवेचन करने की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.06 17:52:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: